न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/4

1. कमली पत्नी भगवानसहाय, जाति गुर्जर, निवासी खारण्डी, तहसील दौसा, जिला दौसा।
2. नर्बदा देवी पत्नी पुखराज, जाति गुर्जर, निवासी खारण्डी, तहसील दौसा जिला दौसा।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा, जिला दौसा राजस्थान।
2. तहसीलदार, तहसील भाण्डारेज, जिला दौसा राजस्थान।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 28.06.2023 जो प्रकरण प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आंवटन रूल्स अनुवानी सरकार बनाम कमली प्रकरण संख्या 59/2010 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री सतीश कुमार पारीक, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –06.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 28.06.2023 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 09.01.2024 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 19.05.2000 को ग्राम खारण्डी, तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 1022/672 रकबा 0.50 है0 सिवायचक भूमि का आवंटन कमली पत्नी भगवानसहाय, जाति गुर्जर, निवासी खारण्डी, तहसील दौसा, जिला दौसा को किया गया था। कमली पत्नी भगवानसहाय द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2023 द्वारा प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति कैम्प नांगल चापा की बैठक दिनांक 19.05.2000 के द्वारा ग्राम खारण्डी में अप्रार्थी कमली पत्नि भगवानसहाय गुर्जर के पक्ष में खसरा नम्बर 1022/672 में से 0.50 है0 भूमि का किया गया आवंटन निरस्त करने के आदेश पारित किये गये।
3. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 28.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स कमली पत्नी भगवानसहाय वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. वकील अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट संख्या 1 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष झूंठे तथ्यों के आधार पर एक प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) आवंटन रूल्स इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवंटिति/गैर खातेदार श्रीमती कमली पत्नी भगवानसहाय को ग्राम खारण्डी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1022/672 रकबा 0.50 है0 किस्म बा0 2 कुल रकबा 0.50 है0 दिनांक 19.5.2000 को आंवटन होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 150 दिनांक 17.11.2000 द्वारा गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर के आवंटी/गैर खातेदार ने आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर भूमि उपयोग में नही ली है। आवंटिति/गैर खातेदार द्वारा भूमि कब्जे/अधिकार में नहीं ले रखी है। आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन का प्रयोजन निष्फल हो रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अपीलाण्ट के हक में हुये आवंटन को निरस्त करने की याचना चाही। अपीलांट संख्या 1 द्वारा दिनांक 7.9.2021 को उक्त आवंटित व कब्जेशुदा भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलांट संख्या 2 को किया गया तथा कब्जा अपीलांट संख्या 2 को करा दिया गया व वर्तमान में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.7.2021 के द्वारा वादग्रस्त भूमि खरीदने के बाद से निर्बाध रूप से अपीलांट संख्या 2 का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट संख्या 1 की विधिवत तामील कराये बिना तथा अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही रेस्पोडेन्ट नंबर 1 की एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलांट के हक में दिनांक 19.5.2000 को 24 वर्ष पहले हुये विधिवत आवंटन को कानून के विपरीत तरीके से निरस्त कर दिया, जिसकी अपीलांट को कतई जानकारी नही थी।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि को गैर खातेदारी में होना मानकर तथा आवंटन की शर्तों की पालना नही होना मानकर आवंटन निरस्त किया गया है जबकि भूमि गैर खातेदारी में नही होकर खातेदारी की भूमि है तथा अपीलांट संख्या 1 द्वारा अपीलांट संख्या 2 को विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 9.7.2021 को बेचान किया गया है तथा उसका नामान्तकरण भी अपीलांट संख्या 2 के हक में तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में अपीलांट संख्या 2 के नाम खातेदारी का इन्द्राज भी हो चुका है। परन्तु राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना तथा राजस्व रिकार्ड के विपरीत तथ्य अंकित करके निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अपीलाण्ट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 19.5.2000 को विधिवत रूप से भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन के बाद अपीलांट आवंटी को कब्जा सम्भलाया गया है जो आवंटन पत्रावली पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी भली भांति सिद्ध है तथा आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने विभिन्न कानूनी दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि लम्बे अर्से के आवंटन को तकनीकी त्रुटि के आधार निरस्त नहीं किया जा सकता है परन्तु इन तथ्यों पर गौर नही करके अपीलांट के हक में लगभग 24 वर्ष पूर्व हुये आवंटन को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से कयासों के आधार पर विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है।

अपीलान्ट संख्या 2 निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पत्रावली में अपीलान्ट संख्या 2 को पक्षकार नही बनाया गया है, जबकि अपीलांट संख्या 2 ने अपीलांट संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.9.2021 के द्वारा वादग्रस्त भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा मौके पर काबिज काश्त है तथा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। परन्तु फिर भी अपीलांट संख्या 2 को पक्षकार जोड़े बिना निर्णय पारित कर दिया गया इसलिये अपीलांट संख्या 2 निर्णय अधीनस्थ न्यायालय से प्रभावित होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिणी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक अवैध निर्णय है। जिसकी अपील पेश करने की कोई मियाद नही होती फिर भी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.6.2023 की कतई जानकारी नही थी, क्योंकि आलोच्य निर्णय अपीलांट की विधिवत तामील कराये बिना व सुनवाई तथा सबूत का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। दिनांक 18.12.2023 को अपीलांट अपनी भूमि पर के.सी.सी. लेने के लिये पटवारी हल्का से मिली तो पटवारी हल्का ने कहा कि तुम्हारी भूमि के अलॉटमेंट का फैसला न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा से होकर आवंटन निरस्त कर दिया गया है आप कोर्ट में जाकर तलाश करे तब अपीलांट ने कोर्ट में जाकर तलाश करवाया तो आलोच्य निर्णय दिनांक 28.6.2023 की जानकारी हुई फिर अपीलांट ने आलोच्य आदेश की नकले निकलवाई जो अपीलांट को दिनांक 20.12.2023 को प्राप्त हुई, इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त आदेश की कतई जानकारी नही थी। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। उक्त आदेश में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय तहत न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 28.06.2023 जो प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम कमली प्रकरण संख्या 59/2010 पर पारित किया गया है उसको निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 19.05.2000 को ग्राम खारण्डी, तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 1022/672 रकबा 0.50 है0 भूमि का आवंटन कमली पत्नी भगवानसहाय, जाति गुर्जर, निवासी खारण्डी, तहसील दौसा, जिला दौसा को किया गया था। कमली पत्नी भगवानसहाय द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू-आवंटन नियम-1970 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां दिनांक 23.09.2009 को प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय 28.06.2023 द्वारा प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति कैम्प नांगल चापा की बैठक दिनांक 19.05.2000 के द्वारा ग्राम खारण्डी में अप्रार्थी कमली पत्नि भगवानसहाय गुर्जर के पक्ष में खसरा नम्बर 1022/672 में से 0.50 है0 भूमि का किया गया आवंटन निरस्त करने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः यह अपील अपीलान्ट खारिज कर जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2023 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट संख्या 01 द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी नकल प्राप्त होने की दिनांक 20.12.2023 से होना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हाल अपीलान्ट संख्या 01 श्रीमती कमली पत्नि भगवानसहाय को दिनांक 28.12.2015 को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की चस्पानगी तामिल कुलिन्दा द्वारा उनके घर पर की गयी है। जिसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.02.2016 से लेकर निर्णय दिनांक 28.06.2023 तक बावजूद तामील अपीलान्ट अनुपस्थित रही है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट संख्या 01 को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी रही है। इसलिये अपीलान्ट संख्या 01 का यह कथन पोषणीय नहीं माना जा सकता है कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। अपीलांट संख्या 2 अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया है। उन्हें अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.02.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा में अप्रार्थीगण (हाल अपीलान्ट) बावजूद तामील अनुपस्थित रहें हैं। यदि अपीलार्थी को उज्र था तो अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में प्रभावी पैरवी/प्रतिरक्षण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। भूमि बंजड़ पड़ी होना अंकित किया गया है। भूमि का विक्रय भी दौराने दावा प्रार्थना पत्र 14 (4) के अंतर्गत कार्यवाही विचाराधीन रहते हुये किया गया है। क्रेता को भली भांति ज्ञान होना चाहिये कि वादग्रस्त भूमि को पुनः सिवायचक घोषित किया जा सकता है। अतः विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य है। उपरोक्त के आलोक में अपील खारिज की जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2023 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।